परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने का दिनांक 16.03.2021

तारांकित प्रश्न क्रमांक-5252 **माननीय विधायक श्री नीरज विनोद दीक्षित**

तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा आऊटसोर्स कार्मिकों के नियोजन हेतु जारी निविदाओं के निरस्त किये जाने के कारण का विवरण

1. प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों ने प्रथम निविदा समान रूप से पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तैयार व जारी निविदा दस्तावेज के अनुसार निकाली गई थी। उक्त निविदाओं की शर्तो व अहर्ताओं के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं व महामारी कोविड के कारण उत्पन्न आकस्मिक असाधारण परिस्थितिओं के परिप्रेक्ष्य में निविदा की शर्तो व अहर्ताओं पर दोबारा गोर करने के दृष्टिगत पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा अपनी निविदा निरस्त की गई। तदानुसार अन्य वितरण कंपनियों यथा पूर्व क्षेत्र व मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा भी निविदाएं निरस्त की गई ।

2. प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों द्वारा जारी दूसरी निविदा के अंतर्गत कोई भी निविदाकर्ता निविदा की अहर्ताओं पर प्राइज बिड खोलने के योग्य नहीं पाया गया था। अत: प्रत्येक कंपनी द्वारा जारी दूसरी निविदा वाणिज्यक एवं तकनीकी बिड खुलने के बाद निरस्त की गई।

3. प्रदेश की पूर्व व मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों द्वारा जारी तीसरी निविदा के अंतर्गत उन बाह्य स्त्रोत एजेंसीज जिन पर पुराने दर अनुबंध में इवेंट आफ डिफाल्ट के नोटिस जारी किये गये थे, ने भी अपनी निविदाऐं दी थी। ऐसे निविदाकर्ताओं की निविदा की योग्यता उन पर जारी नोटिसो के अनिर्णित रहते हुए सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। अत: पूर्व व मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को तीसरी बार निविदा निरस्त करनी पड़ी थी।

पश्चिम क्षेत्र कंपनी में उनकी पुरानी निविदाओं के अंतर्गत जारी दर अनुबंधो के तहत जिन बाह्य स्त्रोत एजेंसीज के कार्य को निरस्त कर ब्लैक लिस्ट किया गया था, उन एजेंसियों के तीसरी निविदा में सम्मिलित होने पर विसंगतिपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकने के कारण उनके द्वारा अपनी तीसरी निविदा निरस्त की गई।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल